R1

R.M.M. Law College – Saharsa.
Manwendra Mandal Subject - Hindu Marriage Act
Part time Lecturer Part - 1.

क्या एक छत के नीचे पति-पत्नी का रहना आवश्यक है?

उपरोक्त प्रश्न का उत्तर एन. आर. राघवाचारियन बनाम पान. सामी के वाद में सुस्पष्ट किया गया है। मामले में तथ्य इस प्रकार था कि पति-पत्नी दोनों विवाह के समय नौकरी करते थे। पति मद्रास में ट्रांसपोर्ट कम्पनी में ड्राइवर था और पत्नी एलीमेन्ट्री स्कूल में अध्यापिका थी। विवाह के पश्चात दोनों में मनमुटाव हो गया और पति ने अपना तबादला पांडिचेरी में करा लिया। पांडिचेरी से फिर कृष्णानगर तबादला करा लिया जबकि उसकी पत्नी मद्रास में ही अध्यापिका की नौकरी करती रही। पति को यह शिकायत थी कि उसकी पत्नी नौकरी छोड़कर उसके साथ नहीं रही और इस प्रकार उसने अपने वैवाहिक दायित्वों को पूरा नहीं किया जिसके फलस्वरूप पति द्वारा पत्नी के विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों के पुन: स्थापन का अधिकार उसे प्राप्त है। दूसरी ओर पत्नी का यह कहना था कि यदि पति चाहता तो वह अपना तबादला मद्रास करा सकता था, लेकिन जान-बूझ कर उसको परेशान करने के लिए पति ने ऐसा नहीं किया और अपना तबादला दूसरी जगह करवा लिया तथा उसके पति की आय से घर का गुजारा ठीक नहीं चलता था। उसका पति उसे मारता-पीटता था। इसके अतिरिक्त उसे अपनी लड़की की देखभाल भी करनी पड़ती थी जबकि कृष्णा नगर में ऐसा कोई स्कूल नहीं था जहाँ वह नौकरी कर सकती, इसलिए उसके लिए यह संभव नहीं था कि वह केवल पति के साथ रहने के लिए नौकरी छोड़कर उसके साथ रहे जहाँ उसका पति के दया पर रहना खतरे से खाली नहीं था। दूसरी ओर उसका पति चाहता तो समय-समय पर मद्रास में आकर उसके निवास स्थान पर उसके साथ रह सकता था और वैवाहिक आनन्द प्राप्त कर सकता था। उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि एक छत के नीचे रहने से ही वैवाहिक

Scanned with CamScanner

P-2 क्या एक छत के नीचे पति-पत्नी का रहना आवश्यक है?

दायित्वों की पूर्ति नहीं होती। क्योंकि पति-पत्नी एक छत के नीचे रहते हों फिर भी उनमें किसी प्रकार का वैवाहिक सम्बन्ध न हो ऐसा भी संभव है इसलिए यह आवश्यक नहीं कि वैवाहिक सम्बन्धों को पूरा करने के लिए एक ही छत के नीचे रहा जाय। चूंकि पत्नी ने पति के निवास स्थान से अलग स्थान पर नौकरी करते हुए अपने दायित्वों को निभाने से कभी इन्कार नहीं किया इसलिए पति की दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापन की याचिका को रद्द कर दिया गया।

इसी प्रकार प्रवीन बहन बनाम सुरेशभाई त्रिभुवन आर्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि वैवाहिक दायित्व निभाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पति-पत्नी एक ही छत के नीचे रहें। यह बात आज-कल वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त लगती है। भले ही पत्नी नौकरी पति के निवास स्थान से भिन्न शहर में करती थी परन्तु पति को इस बात की पूरी इजाजत थी की वह पत्नी के यहाँ आये। अपने इस वैवाहिक दायित्व को निभाने के लिए पत्नी कभी चूकती नहीं थी। जिस शहर में पत्नी नौकरी करती थी उस स्थान पर पति समय-समय पर आकर निवास भी करता था और वैवाहिक सम्बन्ध भी कायम होते रहे जिससे उनके एक लड़की भी पैदा हुई। केवल इस आधार पर कि पत्नी पति से दूर अन्य स्थान पर रह रही थी, यह मतलब नहीं लगाया जा सकता कि वह अपने वैवाहिक दायित्वों को निभाने से इन्कार करती थी।

The end.